महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालयएवं संबध्द चिकित्सालय,स्वशासी संस्था,इंदौर (म.प्र)

क्रमांक................................/SS/EST/SR/JR/2024 इंदौर,दिनांकः–

विज्ञप्ति सीनियर रेसीडेन्ट

//सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय इंदौर,के अंतर्गत सीनियर रेसिडेंट (SR) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु नोटिस//

म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय भोपाल के पत्र पृ.क्रं./एफ 1–2/2019/55–2 भोपाल दिनांक 06.05.2020के द्वारा शासकीय स्वशासी महात्मा गाधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर में सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय इन्दौर के अंतर्गत स्वीकृत सीनियर रेसीडेन्ट (SR) के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीमित पदावधि (Tenure) से पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित प्रारुप में **वॉक–इन–इंटरव्यू** हेतु आवेदन आमंत्रित किए गये :–

सीनियर रेसीडेन्ट (निश्चित वेतन रु.80811/– प्रतिमाह)

S.No.	Department	Vacancy with category					
		Total Vacant post	UR	ST	SC	OBC	EWS
1	Neurology	3	–	–	1	1	1
2	Neurosurgery	3	–	1	1	1	–
3	Cardiology	4	1	1	1	1	–
4	CTVS	4	1	1	1	1	–
5	Nephrology	2	–	1	–	1	–
6	Urology	2	–	1	1	–	–
7	Medical Gastroenterology	1	–	1	–	–	–
8	Surgical Gastroenterology	5	1	1	–	2	1
9	Plastic Surgery	1	–	–	1	–	–
10	Pediatric Surgery	1	–	–	1	–	–
11	Anesthesia	2	1	–	–	–	1
12	ICU	7	1	1	2	2	1
	TOTAL	**35**	**5**	**8**	**9**	**9**	**4**

नोट :–इच्छुक अभियार्थी आवेदन पत्र कार्यालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते है,तथा पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र के साथ दस्तावेजो की अभिप्रमाणित छायाप्रति ,01 फोटो एवं निर्धारित शुल्क की रसीद संलग्न करे। आवेदक स्क्रूटिनी हेतु कार्य दिवस दिनांक 05/03/24 को प्रातः **10:00 बजे से 12:00 बजे** तक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मीटिंग हॉल G-28 ,Ground Floor मे पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र एवं मूल दस्तावेजो के साथ उपस्थित रहे।

साक्षात्कर हेतु कार्य दिवस दिनांक 05/03/24 को साक्षात्कर का **समय दोपहर 2:00 बजे से 4:00** बजे नियत किया जाता है, आवेदक आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियो के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा इस हेतु पृथक से कोई सूचना नही दी जावेगी।

मध्यप्रदेश शासन के नवीनतम आदेश क्रमांक के प्रावधान अनुसार सभी स्नातकोत्तर छात्र जिनका चयन सीनियर रेसिडेंट के पद पर होगा उन्हें ग्रामीण सेवा के बांड से इस शर्त के साथ मुक्त किया जायेगा,कि वे बांड अवधि के बराबर अवधि तक महाविद्यालय मे इस पद पर सेवाए देंगे उक्त अवधि के पूर्ण सेवा छोड़ने की स्थिति से ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्रों मे सेवा हेतु किये गये बांड की शर्ते लागू हो जाएगी ,और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी।

चयनीत उम्मीदरों को 1 महीने के अंदर MPMC में Additional Registration रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर आवेदन की रसीद जमा करवानी होगी तत्पश्चात ही वेतन आहरण किया जायेगा ।

डॉ.संजय दीक्षित
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मं.गाँ स्मृ चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबंध्द चिकित्सालय
स्वशासी संस्था, इंदौर (म.प्र)

वॉक –इन –इंटरव्यू हेतु **नियम एवं शर्ते**

- आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार।
- पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है। रिक्तियों की कैटेगिरी में परिवर्तन किया जा सकता है।
- उक्त रिक्त पदों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित है तथा 3 प्रतिशत पद विकलांग हेतु आरक्षित है।
- **सीनियर रेसीडेन्ट हेतु अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते है तो उस स्थिति में सीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध कर चिकित्सकों से भरी जावेगी।**
- आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जाता।
- **अवधि** : सीनियर रेसीडेन्ट्स की सेवा–अवधि (Tenure) एक वर्ष की होगी। इनकी प्रथमः 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी। तत्पश्चात् सेवायें संतोषजनक पाये जाने एवं आवश्यकता अनुसार 01–01 वर्ष हेतु समय बढ़ाते हुए अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।
- **नियुक्ति का तरीका**:–योग्य अभ्यर्थियों का चयन एम.बी.बी.एस./एम.डी./एम.एस./डीएनबी/डीएम/एमसीएच सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंकों , अनुभव, अतिरिक्त योग्यताएवं साक्षात्कार उपरांत किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी।
- **आवेदन शुल्क**:–सीनियर रेसीडेन्ट्स/जूनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु अभ्यार्थियों को अपने आवेदन के साथ रु. 600/–(छःसौ) एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों को रु.300/–(तीन सौ)राशि का भुगतान NEFT/ RTGS.,Dean, mgm medical college Indore,bank account no. 53003590071,IFSCcode no – SBIN0030359) के माध्यम से करते हुए भुगतान कीरसीद आवेदन के साथ संलग्न करे, किसी भी अवस्था मे राशि लौटायी नही जावेगी।
- **शैक्षणिक योग्यता – (एन.एम.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी):–**
  - न्यूरोलॉजी विभाग,नेफ्रोलॉजी विभाग,के लिए मेडीसिन/पिडियाट्रिक मेडीसिन में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त।
  - न्यूरोसर्जरी विभाग एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग के लिए जनरल सर्जरी एवं ई.एन.टी में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त।
  - कार्डियोलॉजी विभाग के लिए मेडिसिन/पीडियाट्रिक्स/रेस्पिरेटरी मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त।
  - सी.टी.वी.एस विभाग,यूरोलॉजी विभाग के लिए सर्जरी में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त।
  - मेडिकल गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के लिए मेडीसिन में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त।
  - सर्जिकल गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के लिए सर्जरी में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त।
  - पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के लिए सर्जरी में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त।
  - आई.सी.यु विभाग के लिए एनेस्थीसिया/मेडिसिन/पिडियाट्रिक्स/रेस्पिरेटरी मेडिसिन/इमरजेंसी मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त।
  - एनेस्थीसिया विभाग के लिए एनेस्थीसिया में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त।

सीनियर रेसीडेन्ट पद पर नियुक्त किसी चिकित्सक को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी। जिन चिकित्सकों ने नोटिस निकलने के दिनॉक से पिछले पॉच वर्ष के अन्दर एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी परीक्षा उत्तीर्ण की है। वे ही इस पद के लिये पात्र होगें। जिन चिकित्सकों ने इसी चिकित्सा महाविद्यालय से एम.डी./एम.एस./परीक्षा उत्तीर्ण की है,उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद मध्यप्रदेश के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जाएगी। संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीद्वार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।

- **यात्रा भत्ता** :– साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यार्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।
- **आयु सीमा**:–साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 45वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

अन्य शर्ते :

इन चिकित्सकों का प्रत्येक 01 वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में एक दिन अवकाश की पात्रता होगी यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा, पर इन रेसीडेन्टस से संबंधित, सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

- आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारुप में सक्षम अधिकारी म.प्र. द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- म.प्र. के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।

- उम्मीद्वार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी।
- सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।
- आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संस्था में कार्यरत है उस संस्था का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- उम्मीद्वार को म.प्र. राज्य मेडिकल कौंसिल अथवा मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
- सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर चयनित उम्मीद्वार को आवश्यकतानुसार अन्य स्थान/सी.एम.ओ ड्यूटी पर कार्य करने हेतु आदेशित किया जा सकता है।
- यदि किसी अभयार्थी के दस्तावेज असत्य पाए जाते है अथवा यदि कोई चयनित उम्मीदवार बिना के अनुपस्थित पाया जाता है तो उसे सेवा से पृथक करने का अधिकार अधिष्ठाता के पास रहेगा।

साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों प्रस्तुत करनी होगी।

डॉ.संजय दीक्षित
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मं.गाँ स्मृ चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबंध्द चिकित्सालय
स्वशासी संस्था, इंदौर (म.प्र)

क्रमांक/ 1147-51 /SS./EST./SR./JR./2024 इंदौर, दिनांक :- 29-02-24

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त,चिकित्सा शिक्षा,म.प्र.।
2. संभागायुक्त इंदौर संभाग इंदौर।
3. प्रभारी सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय इंदौर।
4. समस्त विभागाध्यक,को सूचनार्थ तथा अपने विभागीय नोटिस बोर्ड पर तत्काल चस्पा करने हेतु।
5. समस्त नोटिस बोर्ड चिकित्सा महाविद्यालय/म.य.चिकित्सालय/छात्रावास/लाइब्रेरी।

डॉ.संजय दीक्षित
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मं.गाँ स्मृ चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबंध्द चिकित्सालय
स्वशासी संस्था, इंदौर(म.प्र)